

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/

दिनांक :

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एव 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारियों को निम्न प्रकार सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान	प्र0नि0 तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथी	पे मेट्रिक्स लेवल
1	श्री राजकुमार गुप्ता, वरिष्ठ सहायक, अलवर।	21.09.1991	27 वर्ष	21.09.2018	एल-11
2	श्री ज्ञानेश चन्द बवेजा, वरिष्ठ सहायक, सीकर।	30.09.1991	27 वर्ष	30.09.2018	एल-11

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

स/-  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर

दिनांक : 13/03/19

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2019/622

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- 2 अति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क, सीकर।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर।
- 4 संबन्धित कर्मचारी का द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 6 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज0 जयपुर